संख्या 573 / XXVII(8) / वाणिज्यकर(वैट) / 2006

प्रेषक,

प्रमुख सचिव वित्त एवं
अवस्थापना विकास आयुक्त उत्तरांचल
उत्तरांचल शासन, देहरादून।

सेवा में,

आयुक्त कर,
उत्तरांचल, देहरादून।

विभाग : वित्त (अनुभाग–8) दिनॉकः देहरादूनःअगस्त 21, 2006

विषयः दिनॉक 01/04/2006 से 31/03/2009 तक के लिए विद्युत संविदाकारों के सम्बन्ध में उत्तरांचल मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 7 (2) में देय कर के स्थान पर समाधान योजना।

महोदय,

शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि अविभाजित विद्युत संविदाकारों के सम्बन्ध में विद्युत संविदाकरों द्वारा देय कर की राशि के विकल्प में उत्तरांचल मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत समाधान राशि संलग्न शासन के निर्देशों में उल्लिखित शर्तो के अधीन स्वीकार कर लिया जाय।

समाधान राशि संविदा की संम्पूर्ण धनराशि पर आंकलित की जायेगी, जिन संविदाकारों द्वारा सम्बन्धित वित्तीय वर्ष में फार्म सी अथवा उत्तरांचल मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत निर्धारित प्रारूप XVI का प्रयोग किया गया है उन पर संविदा की संम्पूर्ण धनराशि के 3 प्रतिशत की दर से समाधान राशि की गणना की जायेगी। जिन संविदाकारों द्वारा फार्म सी अथवा प्रारूप XVI का प्रयोग सम्बन्धित वित्तीय वर्ष में नहीं किया गया है उन पर संविदा की धनराशि के 1 प्रतिशत की दर से समाधान राशि की गणना की जायेगी।

यह योजना उन विद्युत संविदाकारों के सम्बन्ध में प्रभावी होगी जिनपर कार्य दिनॉक 01/04/2006 या उसके बाद पूर्ण हुए हो चाहें उनके कार्य 01/04/2006 से पूर्व ही क्यो ना प्रारम्भ हो गये हों।

किसी संविदाकार के लिये इस बात की अनुमति नहीं होगी कि वह अपनी संम्पूर्ण संविदाओं में से केवल कुछ संविदाओं के सम्बन्ध में अथवा संविदा के कुछ भाग के सम्बन्ध में समाधान राशि का विकल्प दें। सभी संविदाओं के सम्बन्ध में समाधान योजना का विकल्प चुनना अनिवार्य होगा। समाधान योजना हेतु विकल्प एक बार देने के पश्चात् सम्बन्धित संविदाकार उसे वापस नहीं ले सकते।

शासन के निर्देशों के साथ प्रार्थना–पत्र व शपथ–पत्र के प्रारूप भी सलंग्न है। कृपया अधिकारियों को आवश्यक निर्देश देने का कष्ट करें।

भवदीय,

(इन्दु कुमार पाण्डे)
प्रमुख सचिव वित्त एवं
अवस्थापना विकास आयुक्त उत्तरांचल

.....अनुभाग
आवश्यक कार्यवाही के लिये।
अपर आयुक्त कर
उत्तरांचल देहरादून
3054
22-8-06

c:\desktop\tipani_ordinance\commissioner_tax

शासन के निर्देश

विद्युत संविदाकारों के सम्बन्ध में देय मूल्यवर्धित कर के विकल्प में उत्तरांचल मूल्य वर्धित कर अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (2) में एकमुश्त समाधान राशि प्राप्त करने के विषय में शासन के निर्देश 01/04/2006 से 31/03/2009 तक के लिये

1.शासन ने यह निर्णय लिया है कि अविभाजित विद्युत संविदाओं के सम्बन्ध में विद्युत संविदाकारों द्वारा देय कर की राशि के विकल्प में उत्तरांचल मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत समाधान राशि निम्न शर्तो के अधीन स्वीकार की जायेः–

विद्युत संविदाकार से तात्पर्य ऐसे संविदाकार से है जो निम्न कार्य में से कोई कार्य या समस्त कार्य करते हों।

(1) भवनों की अन्तः व बाह्य वायरिंग जिसमें बिजली के गोल केबिल, ओवर हेडलाइन, स्ट्रीट लाइटिंग की आपूर्ति एवं स्थापना शामिल है।
(2) मेन स्विच, डिस्ट्रिब्यूशन बोर्ड, कन्ट्रोल पैनल की आपूर्ति एवं स्थापना।
(3) ट्यूब फिटिंग्स, लैम्प शेड्स, ब्रेकिट्स की आपूर्ति एवं स्थापना तथा पंखों की स्थापना।
(4) ऊर्जा वितरण उपकरण अर्थात स्विच गेयर, पैनल डिस्ट्रिब्यूशन बोर्ड की आपूर्ति एवं स्थापना।
(5) अर्थिंग उपकरण की आपूर्ति एवं स्थापना।
(6) विद्युत अधिष्ठानों / उपकरणों की मरम्मत हेतु उक्त सामग्री की आपूर्ति एवं स्थापना।

2. समाधान राशि संविदा की सम्पूर्ण धनराशि पर आगणित की जायेगी। जिन संविदाकारों द्वारा सम्बन्धित वित्तीय वर्ष में फार्म –सी अथवा उत्तरांचल मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 के अंतर्गत निर्धारित प्ररूप XVI का प्रयोग किया गया है, उन पर संविदा की सम्पूर्ण धनराशि पर 3 प्रतिशत की दर से समाधान राशि की गणना की जायेगी। जिन संविदाकारों द्वारा फार्म –सी अथवा प्ररूप XVI का प्रयोग सम्बन्धित वित्तीय वर्ष में नहीं किया गया है, उन पर संविदा की सम्पूर्ण धनराशि पर 1 प्रतिशत की दर से समाधान राशि की गणना की जायेगी।

3. योजना उन विद्युत संविदाओं के सम्बन्ध में प्रभावी होगी, जिनमें कार्य दिनॉक 01/04/2006 या उसके बाद पूर्ण हुआ हो, चाहे उनमें कार्य दिनॉक 01/04/2006 के पूर्व ही क्यों न प्रारम्भ हो गया हो। दिनॉक 01/04/2006 के पूर्व प्रारम्भ हुई संविदाओं में समाधान राशि केवल उन प्राप्तियों पर निर्धारित की जायेगी जो दिनॉक 01/04/2006 को या उसके पश्चात प्राप्त हुई हो।

4. जो संविदाकार देय कर के स्थान पर धारा 7 की उपधारा (2) में समाधान राशि जमा करने का विकल्प अपनाना चाहते है वे ऐसा प्रार्थना–पत्र संलग्न प्रारूप में 1/10/2006 तक अपने असिस्टैन्ट कमिश्नर/कर निर्धारक प्राधिकारी को प्रस्तुत करेंगे। प्रार्थना–पत्र के साथ 30/9/2006 तक संविदा के निष्पादन के सम्बन्ध में प्राप्त की गयी धनराशि पर प्रस्तर–2 के अनुसार आगणित समाधान शुल्क भी जमा किया जायेगा। जिन मामलों में संविदी द्वारा धारा–35 के अन्तर्गत सत्रोत पर कटौती कर ली गयी है, उनमें संविदी द्वारा काटी गयी धनराशि का प्रमाण–पत्र संलग्न प्रारूप में दिया जायेगा। ऐसा प्रमाण–पत्र प्राप्त होने पर प्रस्तर–2 के अनुसार आगणित समाधान शुल्क की धनराशि में से स्त्रोत पर काटी गयी धनराशि घटाने के पश्चात अवशेष धनराशि प्रार्थना–पत्र के साथ जमा की जायेगी। यदि किसी संविदाकार के मामले में वास्तविक समाधान राशि से अधिक धनराशि की कटौती की गयी है तो अधिक कटौती की गयी धनराशि प्रार्थना–पत्र के बाद देय समाधान शुल्क में समायोजित कर ली जायेगी तथा इस सम्बन्ध में प्रमाण–पत्र सम्बन्धित कर निर्धारक प्राधिकारी द्वारा जारी कर दिया जायेगा कि किस संविदाकार की कितनी धनराशि अधिक जमा है तथा कितनी धनराशि के भुगतान पर संविदी द्वारा स्त्रोत पर कटौती नहीं की जायेगी।

5. किसी संविदाकार के लिये इस बात की अनुमति नहीं होगी कि वह अपने सम्पूर्ण संविदाओं में से केवल कुछ संविदाओं के सम्बन्ध में अथवा संविदा के कुछ भाग के सम्बन्ध में समाधान राशि का विकल्प दें। सभी संविदाओं के सम्बन्ध में समाधान योजना का विकल्प चुनना अनिवार्य होगा।

6. जो संविदाकार एक से अधिक जनपदों में कार्य करते है वह अपने मुख्यालय की घोषणा कमिश्नर वाणिज्य कर को करेंगे जिसकी प्रति सम्बन्धित मुख्यालय के कर निर्धारक प्राधिकारी को देंगे तथा अन्य जिलों के ऐसे अधिकारियों जहॉ से उनको संविदा के सम्बन्ध में भुगतान प्राप्त होता है, को भी इस सम्बन्ध में सूचित करेंगे। जिन संविदाकारों का मुख्यालय उत्तरांचल के बाहर अथवा भारत वर्ष के बाहर हो तथा उनके द्वारा उत्तरांचल के अन्दर भी विभिन्न जिलों में कार्य किया जाता हो ऐसे संविदाकार उत्तरांचल के अन्दर किसी एक कार्य स्थल को अपना प्रदेशीय मुख्यालय घोषित करेंगे। जिसकी सूचना कमिश्नर वाणिज्य कर तथा विभिन्न कर निर्धारक प्राधिकारियों को भी देंगे। यदि उनके द्वारा कोई विकल्प नहीं दिया जाता है तो कमिश्नर वाणिज्य कर मुख्यालय घोषित करने का अधिकार होगा।

7. जो संविदाकार समाधान योजना में शामिल होने का विकल्प 1.10.2006 तक नहीं देते है वे 30.9.2006 के बाद की अवधि के लिये अवशेष समाधान राशि पर 1.25 प्रतिशत प्रतिमाह की दर से ब्याज के साथ समाधान योजना में शामिल होने के लिये प्रार्थना–पत्र दिनांक 31.3.2007 तक दे सकते है।

8. जो संविदाकार 1.10.2006 या उसके बाद संविदा कार्य प्रारम्भ करते है वे समाधान योजना में सम्मिलित होने का विकल्प प्रत्येक संविदा की तिथि से तीन माह के अन्दर दे सकते है तीन माह के बाद समाधान राशि जमा करने पर देरी की अवधि के लिये 1.25 प्रतिशत प्रतिमाह की दर से ब्याज देय होगा।

9. 1.10.2006 को या उसके पश्चात् प्राप्त होने वाली धनराशि पर प्रस्तर–2 के अनुसार समाधान राशि 30 जून, 30 सितम्बर, 31 दिसम्बर तथा 31 मार्च को समाप्त होने वाली तिमाहियों की समाप्ति के 30 दिन के अन्दर जमा की जायेगी। निश्चित सीमा के अन्दर समाधान राशि न जमा करने पर ऐसे संविदाकार पर 1.25 प्रतिशत प्रतिमाह की दर से ब्याज देय होगा तथा नियमानुसार अर्थदण्ड भी लगाया जा सकता है।

10. धारा 7 की उपधारा (2) में समाधान योजना हेतु विकल्प एक बार देने के पश्चात् सम्बन्धित संविदाकार उसे वापस नहीं ले सकेगा।

11. समाधान राशि, उस पर देय ब्याज तथा अर्थदण्ड की वसूली उत्तरांचल मूल्य वर्धित कर अधिनियम की धारा 34 में भू–राजस्व की बकाया के रूप में की जायेगी साथ ही साथ धारा 58 के अन्तर्गत भी कार्यवाही की जा सकती है।

12. यदि किसी संविदाकार से धारा 35 के अन्तर्गत की गई कटौती की धनराशि उसके द्वारा देय समाधान राशि से अधिक हो तथा उक्त संविदाकार द्वारा उत्तरांचल में कार्य बन्द कर दिया गया हो तो ऐसे संविदाकार के प्रार्थना–पत्र पर अधिक कटौती की धनराशि उसको वापस कर दी जायेगी।

13. जहॉ पर मुख्य संविदाकार द्वारा समाधान योजना स्वीकार कर ली गई हो वहॉ उप–संविदाकार (सब–कान्ट्रेक्टर) पर कोई कर नहीं लगाया जाएगा।

14. यदि यह पाया जाता है कि संविदाकार द्वारा समाधान योजना में शामिल होने हेतु दिए गये प्रार्थना–पत्र/शपथ–पत्र में कोई तथ्य छिपाया गया है अथवा कोई गलत विवरण दिया गया है तो कर निर्धारक प्राधिकारी को यह अधिकार होगा कि वह एकमुश्त धनराशि जमा करने के सम्बन्ध में संविदाकार से हुए अनुबन्ध को निरस्त कर सकें तथा नियमानुसार कर निर्धारण, अर्थदण्ड की कार्यवाही कर सकें।

अविभाजित विद्युत संविदाओं के सम्बन्ध में उत्तरांचल मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 7 की उपधारा (2) के अन्तर्गत प्रार्थना–पत्र
(प्रत्येक कर निर्धारण वर्ष के लिए अलग–अलग)

सेवा में,
असिस्टैन्ट कमिश्नर / कर निर्धारक प्राधिकारी
वर्ष 2006– (01 / 04 / 2006 से .....तक)

महोदय,

मै फर्म.....जिसका मुख्यालय.....पर स्थित है तथा जिसे उत्तरांचल मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 15 अथवा धारा 16 में वाणिज्य कर कार्यालय.....द्वारा जारी पंजीयन प्रमाण–पत्र संख्या.... .....दिनांक.....से प्रभावी जारी किया किया गया है अथवा जिसने उक्त अधिनियम के अन्तर्गत पंजीयन प्राप्त करने के लिये असिस्टैन्ट कमिश्नर खण्ड..... .....मण्डल / उपमण्डल.....के कार्यालय में दिनांक..... को प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर दिया है, का स्वामी / साझीदार.....हूँ। मै यह प्रार्थना–पत्र उक्त फर्म की ओर से प्रस्तुत कर रहा हूँ। हमारी फर्म ने उक्त वर्ष में..... .....(जिसे आगे तथा संलग्न शपथ–पत्र में इम्पलायर कहा गया है) से वर्क कान्ट्रेक्ट का ठेका कार्य लिया है। उस पर देय कर के विकल्प में धारा 7 की उपधारा (2) में दिये गये शासन के निर्देशों को हमने तथा हमारी फर्म के हितबद्ध व्यक्तियों ने सावधानी पूर्वक पढ़ लिया है और समझ लिया है। यह सब हमें स्वीकार्य है।

2. उक्त वर्क्स कान्ट्रेक्ट का विवरण संलग्न शपथ–पत्र में है तथा वर्क कान्ट्रेक्ट एग्रीमेन्ट की प्रमाणित प्रति भी संलग्न है।

3. मै वित्तीय वर्ष.....में उक्त फर्म द्वारा की गयी माल के स्वामित्व के अन्तरण पर देयकर के स्थान पर उत्तरांचल मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 7 की उपधारा (2) तथा शासन के निर्देशों के अधीन संलग्न शपथ–पत्र / अनुबन्ध के अनुसार एकमुश्त धनराशि स्वीकार किये जाने का निवेदन करता है।

4. उक्त वर्ष के लिए धारा 7 की उपधारा (2) में एकमुश्त राशि रू0..... मेरे द्वारा जमा कर दी गयी है व सम्बन्धित इम्पलायर ने धारा 35 में कटौती कर ली है जिसके चालान व प्रमाण–पत्र संलग्न है और जिनका विवरण नीचे अंकित है।

चालान का विवरण

चालान सं0	तिथि	राशि	बैंक का नाम व शाखा जिसमें राशि जमा की गई	संलग्न चालान नत्थी सं0

धारा 35 में की गयी कटौती का विवरण					
विभाग व अधिकारी का पदनाम जिसने कटौती की	की गयी कटौती की राशि	वर्क्स कान्ट्रेक्ट एग्रीमेंट का विवरण जिसके अन्तर्गत कार्यावधि	वर्क्स का0 एग्रीमेंट के अन्तर्गत इम्पलायर से प्राप्त भुगतान की तिथि राशि		संलग्नक प्रमाण–पत्र नत्थी, संख्या
(1)	(2)	(3)	(4)अ	(4)ब	(5)

घोषणा–पत्र

में घोषणा करता हूँ कि इस प्रार्थना–पत्र में वर्णित सभी तथ्य मेरी जानकारी तथा विश्वास में पूर्णतया सत्य है उसमें कोई गलत या अपूर्ण नहीं है और न कोई संगत तथ्य छिपाया गया है।

हस्ताक्षर.....
पूरा नाम.....
प्रास्थिति.....

प्रमाणीकरण

में इस प्रार्थना–पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ। वह फर्म.....के स्वामी/साझीदार/.....है तथा प्रार्थना–पत्र पर उन्होंने मेरे समक्ष हस्ताक्षर किये है।

(प्रमाणित करने वाले व्यक्ति के हस्ताक्षर)
पूरा नाम.....
पूरा पता.....

जमा का प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि सर्वश्री.....(पूरा पता) द्वारा दिनांक . .....ने दिनांक.....तक की अवधि में किये गये वर्क्स कान्ट्रेक्ट एग्रीमेंट संख्या..... तथा कुल राशि के विरुद्ध उन्हें दिनांक.....को..... की धनराशि का भुगतान किया गया है। इसके अलावा उन्हें उक्त अवधि में..... मूल्य का मेटीरियल निम्न विवरण के अनुसार दिया गया है।

अवधि	मूल्य	दिये गये मेटीरियल का नाम	मात्रा	दिये गये माल के मेटीरियल के सम्बन्ध में किये गए/जा रहे भुगतान में से काटी गयी राशि	अन्य राशि जिसकी कटौती की गयी कटौती की राशि का	भुगतान की गयी राशि	विशिष्ट

प्रकार							
1	2	3	4	5	6	7	8
उनसे उक्त अवधि में कर के रूप में रू0.....की कटौती की गयी है जिसे निम्न प्रकार वैट खाते में जमा करा दिया है।							
काटी गयी धनराशि		चालान सं0–तिथि		चालान		बैक का नाम व शाखा जहां राशि जमा की गयी	

प्रमाण–पत्र जारी करने वाले अधिकारी का हस्ताक्षर
पूरा नाम व पद.....
कार्यालय की मुहर.....

घोषणा

मै, कि.....उपरोक्त धोषणा करता हूँ कि शपथ–पत्र/अनुबन्ध प्रस्तर–1 से 8 तक के अन्तर्गत दिये गये विवरण मेरी जानकारी ओर विश्वास में पूर्णतया सत्य है और कोई तथ्य छिपाया नहीं गया है। मैं यह भी घोषणा करता हूँ कि इस शपथ–पत्र/अनुबन्ध तथा इसके संलग्नक एवं अनुलग्नक में निर्धारित प्रतिबन्धों, शर्तो और निर्देशों से में तथा फर्म में अन्य सभी व्यक्ति आबद्ध रहेंगे।

हस्ताक्षर.....
नाम.....
प्रास्थिति.....

साक्षी के हस्ताक्षर.....
नाम एवं पता.....
तिथि एवं स्थान.....

शपथ–पत्र/अनुबन्ध

मैं.....पुत्र श्री.....आयु.....वर्ष..... स्थाई निवासी.....(पूरा नाम).....शपथ पूर्वक बयान करता हूँ कि

1. मै फर्म सर्वश्री.....जिसका मुख्यालय.....(पूरा पता) पर स्थित है, का स्वामी/साझीदार/.....(प्रास्थिति) हूँ तथा यह शपथ–पत्र अपनी उपरोक्त फर्म की ओर से वर्ष..... .....के लिये धारा 7 की उपधारा(2) में प्रस्तुत कर रहा हूँ।

2. मेरी फर्म के मुख्यालय व शाखाओं का विवरण निम्नवत है।

क्रम सं0	पूरा नाम व पता	व्यवसाय की प्रकृति	विशेष विवरण
1.	मुख्यालय		
2.	शाखायें		
	(अ)		
	(ब)		
	(स)		

3. मेरी फर्म द्वारा उपरोक्त वर्ष में किए गये वर्क्स कान्ट्रेक्ट का विवरण निम्नवत है:–

इम्पलायर का नाम व पता	वर्क्स का0 एग्रीमेंट की सं0 व तिथि	वर्क्स का0 एग्रीमेंट की प्रकृति तथा स्थल	ठेके की कुल धनराशि तिथि राशि	उक्त वर्ष में प्राप्त धनराशि तिथि राशि	प्राप्त होने योग्य अवशेष धनराशि	धारा 35मे की गयी कटौती की तिथि धनराशि वस्तु	इम्पलायर विशेष द्वारा दिये गये मेटीरियल का विवरण मूल्य	विशेष
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)क	(7)ख	(8)

4.उत्तरांचल मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 7 की उपधारा (2) के उपबन्धों के अधीन वर्क्स कान्ट्रेक्ट पर देय समधान राशि रू0.....मेरे द्वारा जमा कर दी गयी है अथवा इम्पलायर द्वारा कटौती कर ली गयी है, जिसका चालान व प्रमाण इस शपथ–पत्र के साथ संलग्न है और जिसका विवरण निम्नवत है:–

इम्पलायर का नाम व पता	वर्क्स का0 एग्रीमेंट की सं0 व तिथि	वर्क्स का0 एग्रीमेंट की प्रकृति तथा स्थल	ठेके की कुल धनराशि	उक्त वर्ष में प्राप्त धनराशि	प्राप्त होने योग्य अवशेष धनराशि	धारा 35 मे की गयी कटौती की धनराशि	इम्पलायर द्वारा दिये गये मेटीरियल का विवरण वस्तु	मूल्य	विशेष
(1)	(2)क	(2)ख	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)क	(7)ख	(8)

5. प्रस्तर तीन में अंकित वर्ष में मेरे द्वारा इस शपथ–पत्र में उल्लिखित वर्क कान्ट्रेक्ट के अतिरिक्त अन्य कहीं पर कोई वर्क कान्ट्रेक्ट का कार्य नहीं किया गया है और न किसी वर्क कान्ट्रेक्ट के विरुद्ध कोई धनराशि प्राप्त की है।

6. अनुलग्नक–1 समाधान योजना में अंकित निर्देशों तथा शर्तो को हमने सावधानी पूर्वक पढ़ लिया है और यह हमें व हमारी फर्म के सभी हितबद्ध व्यक्तियों को मान्य है। मेरी फर्म इस शपथ–पत्र/अनुबन्ध से अनुलग्नक–1 में दी गयी शर्तो का अनुपालन करने, शासन अथवा कमिश्नर वाणिज्य कर द्वारा लगाये गये प्रतिबन्धों अथवा दिये गये निर्देशों का पालन करने तथा अपने दायित्वों के निबाहने के लिये बाध्य होगी। अनुलग्नक में दिये गये निर्देशो, लगाये गये प्रतिबन्धो और शर्तो के अनुपालन न किये जाने की दशा में उत्तरांचल राज्य सरकार तथा वाणिज्य कर विभाग अनुलग्नक में उल्लिखित कार्यवाही मेरी फर्म के विरुद्ध कर सकेगी।

संलग्नक–उपरोक्त

हस्ताक्षर.....
पूरा पता.....
प्रास्थिति.....